तारीख हुक्म	न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. प्रकरण), सीकर विशिष्ट प्रकरण संख्या :– 137/2023 उनवानी :– राजस्थान राज्य बनाम परमेश्वर लाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2026	1. श्री सांवरमल बिजारणियां, विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त परमेश्वर लाल वरजमानत मय अधिवक्ता श्री शिवरतन शर्मा उपस्थित। 2. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.डब्लू 14 विश्राम के बयान लेखबद्ध किए गए। विशिष्ट लोक अभियोजक ने गवाह संख्या 13 श्रवण कुमार को तर्क किया। गवाह संख्या 15 व 16 के जमानती वारण्ट अदम तामील प्राप्त हुए है। 3. गवाह संख्या 21 श्रीनिवास जांगिड़ द्वारा उसके बयान जरिये विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दर्ज किए जाने का रिक्वेस्ट फॉर्म प्राप्त हुआ। उक्त गवाह ने इस प्रकरण में दिनांक 05.06.2026 को अपनी साक्ष्य रिमोट प्वाईंट कांवटिया अस्पताल, जयपुर मेट्रो, प्रथम से जरिये विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग लेखबद्ध करवाने का निवेदन किया है। 4. विशिष्ट लोक अभियोजक व अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। सभी पक्ष साक्षी का बयान जरिये विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग से लेखबद्ध करवाने पर सहमत है। वी.सी. कार्डिनेटर कोर्ट प्वाईंट जिला न्यायालय, सीकर को निर्देश है कि वे उक्त साक्षी का बयान जरिए वी.सी. रिमोट प्वाईंट कांवटिया अस्पताल, जयपुर मेट्रो, प्रथम से दिनांक 05.06.2026 को समय 08:00 ए.एम. से 09:00 ए.एम के मध्य करवाए जाने हेतु स्लॉट बुक किए जाने की व्यवस्था की जावे। विशिष्ट लोक अभियोजक को निर्देश है कि वे साक्षी को सुसंगत दस्तावेजात की प्रतिलिपि जरिये ई–मेल भिजवाएं। पत्रावली पूर्व से दिनांक 05.06.2026 हेतु नियत है। 4. पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु पूर्व नियत तिथि 05.06.2026 को पेश हो। 4.6.26 विशिष्ट न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. प्रकरण सीकर (राज.)	